झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक- 14-09-15

संख्या-ख०नि०(वि०)-29/2012(खण्ड-1)- 2006 /एम0, राँची, चूँकि झारखण्ड राज्य में खनिजों एवं खनिज उत्पादों के अधिकार, भण्डारण, व्यापार, परिवहन को विनियमित करने, स्वामिस्व या राजकीय शुल्क की वंचना रोकने तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन को बंद करने तथा उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा खनिजों के उत्पादन/प्रेषण हेतु ऑन-लाईन परिवहन चालान की व्यवस्था दिनांक-01.04.2014 से लागू है।

और चूँकि ऑन-लाईन परिवहन चालान प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पट्टेधारियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा आवश्यक वैधानिक विवरणी एवं प्रतिवेदन ऑन-लाईन समर्पित किया जाना वांछनीय है।

अतएव, झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004, झारखण्ड खनिज पारगमन चालान विनियमन, 2005 एवं झारखण्ड खनिज बिक्रेता नियमावली, 2007 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्त्तों को अधोरोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) यह कि पट्टेधारी एवं अनुज्ञप्तिधारी, खनिज अनुदान से संबंधित पूर्ण विवरणी इस अधिसूचना के राजकीय गजट में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर **www. jharkhandminerals.gov.in** के बेबसाईट पर अपलोड करेंगें।

(2) यह कि निदेशक, खान, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर आवश्यक प्रतीत होने वाली अन्य ऐसी सभी सूचनाएँ पट्टेधारियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपरोक्त बेबसाईट पर ऑन-लाईन परिवहन चालान प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन हेतु अपलोड किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(आर० ई० पात्रो)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– /एम०, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 2006 /एम०, राँची, दिनांक– 14-09-15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी उपायुक्त/ निदेशक, खान/निदेशक, भूतत्व/सभी अपर निदेशक, खान/सभी उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 14/9

सरकार के उप सचिव